

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

जापांक _____

पटना, दिनांक _____

ग्रा0वि0-6- बजट /05-03/2017

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना ।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2017-18 में मांग संख्या-42 के तहत NRLM (एन0आर0एल0एम0) योजना के लिए राज्यांश के रूप में जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना मद में पुनर्विनियोग के पश्चात संशोधित बजट उपबंधित राशि रू0 6455.80 लाख (चौसठ करोड़ पचपन लाख अस्सी हजार) के विरुद्ध राज्यांश के रूप में जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना मद में सहायक अनुदान के मद में पूर्व में स्वीकृत राशि रू0 6162.80 लाख (एकसठ करोड़ बासठ लाख अस्सी हजार) के अतिरिक्त रू0 293.00 लाख (दो करोड़ तिरानवे लाख) का वर्तमान वित्तीय वर्ष- 2017-18 में विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में ।

आदेश :- स्वीकृत ।

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे निर्धन परिवारों को जीविकोपार्जन बढ़ाना एवं विस्तार करना, वित्तीय समावेशन, रोजगार पाने योग्य कुशल बनाना तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देना एवं आजीविका संवर्द्धन से जोड़ने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0) योजना चलाई जा रही है ।

2. NRLM (एन0आर0एल0एम0) एक केन्द्र प्रायोजित योजना है । वर्ष- 2014-15 से केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के पुनर्गठन के पश्चात राशि का व्यय राज्य योजना के अंतर्गत सहायक अनुदान के मद में ही निर्धारित है । योजना पर होने वाला व्यय का भार का वहन केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा दिनांक- 01.04.2015 से क्रमशः 60:40 के अनुपात में किया जाता है ।

3. NRLM (एन0आर0एल0एम0) योजना के लिए के वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्यांश के रूप में मुख्य शीर्ष- 2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, उप मुख्य शीर्ष- 06 स्वरोजगार कार्यक्रम लघुशीर्ष- 796 जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना, उप शीर्ष- 0302 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0) योजना विपत्र कोड- 42- 2501067960302 विस्तृत शीर्ष- 31 सहायक अनुदान, विषय शीर्ष 06- गैर वेतन में राज्यांश के रूप में जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना मद में पुनर्विनियोग के पश्चात रू0 6455.80 लाख (चौसठ



करोड़ पचपन लाख अस्सी हजार) का संशोधित योजना उद्ध्यय है एवं समतुल्य राशि का ही बजट उपबंध है, जिसके विरुद्ध पूर्व में विभागीय पत्रांक-313994 दिनांक 16.06.2017 द्वारा राशि ₹0 6162.80 लाख (एकसठ करोड़ बासठ लाख अस्सी हजार) की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा शेष राशि ₹0 293.00 लाख (दो करोड़ तिरानवे लाख) की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान किया जाना आवश्यक है ।

4. प्रशासी विभाग द्वारा मुख्य शीर्ष- 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम उप मुख्य शीर्ष- 06 स्वरोजगार कार्यक्रम लघुशीर्ष- 796 जनजातिय क्षेत्रीय उप योजना, उप शीर्ष- 0302 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0) योजना विपत्र कोड- 42- 2501067960302 विस्तृत शीर्ष- 31 सहायक अनुदान, विषय शीर्ष 06- गैर वेतन में राज्यांश के रूप में ₹0 293.00 लाख (दो करोड़ तिरानवे लाख) राशि की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

5. स्वीकृत राशि की निकासी मुख्य शीर्ष- 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम उप मुख्य शीर्ष- 06 स्वरोजगार कार्यक्रम लघुशीर्ष- 796 जनजातिय क्षेत्रीय उप योजना, उप शीर्ष- 0302 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0) योजना विपत्र कोड- 42- 2501067960302 विस्तृत शीर्ष- 31 सहायक अनुदान, विषय शीर्ष 06- गैर वेतन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

6. स्वीकृत राशि केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत चालू स्कीम पर व्यय की जानी है, फलस्वरूप वित्त विभाग के पत्रांक- एम04-53/2007-96 वि0 (2) दिनांक- 03.01.2008 में निहित प्रावधान के आलोक में संशोधित बजट उपबंधित राशि की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रशासी विभाग सक्षम है ।

7. (i) स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्यययन पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी ।

(ii) विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना स्वीकृत राशि की निकासी कर Bihar Rural Livelihoods Promotion Society, BRLPS-SRLM, canara Bank, Account No.-8531101010676, IFSC Code- CNRB0008531, Vidhyut Bhawan, Bailey Road, Patna, Bihar में जमा कर देंगे । मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-मिशन निदेशक, बी0आर0एल0पी0एस0, विद्युत भवन, पटना इस राशि की निकासी कर व्यय करेंगे तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार, नई दिल्ली, वित्त विभाग, बिहार, पटना एवं इस विभाग को उपलब्ध कराएँगे ।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 3002 दिनांक- 26.04.2017 के शिथिलीकरण संबंधी प्रावधानों के अलावे परिपत्र सं0- 2561 वि0 (2) दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत आदेशों में निहित शेष प्रावधानों के अंतर्गत राशि व्यय की जायेगी ।

9. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 41वि. (2) दिनांक- 03.01.2002 एवं परिपत्र सं0-42वि. (2) दिनांक- 03.01.2002 में निहित निदेश के आलोक में स्वीकृत राशि की कोषागार से निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

10. प्रस्ताव में प्रशासी विभाग का अनुमोदन संचिका सं0- ग्रा0वि0-6- बजट /05-03/2017 के पृष्ठ 28/टि0 पर दिनांक- 09.02.2018 को प्राप्त है ।

11. प्रस्ताव एवं प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0- ग्रा0वि0-6- बजट /05-03/2017 के पृष्ठ 29/टि0 पर दिनांक- 15.02.2018 को प्राप्त है ।

विश्वासभाजन

ह0/

(राजेश परिमल)

सरकार के उप सचिव

जापांक _____ पटना, दिनांक _____

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन स्थित सचिवालय कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/

सरकार के उप सचिव

जापांक 356540 पटना, दिनांक 26/02/2018

प्रतिलिपि- अनिल सुब्रमनियम, उप सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/ वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRLPS-सह-राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, विद्युत भवन, एनेक्सी-2, बेली रोड, पटना /उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ लेखा शाखा/ आईटी0मैनेजर को (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- आयुक्त स्वरोजगार, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय बजट शाखा (प्रशाखा-10)/सांख्यिकी प्रकोष्ठ/प्रशाखा-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । इसकी एक प्रति प्रशाखा-6 की रक्षी पंजी में संधारित की जायेगी ।

AS
21/2-18

सरकार के उप सचिव